Export of Coarse Foodgrains

5581. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow export of coarse foodgrains to foreign countries;

(b) whether no limit has been put on the quantity to be exported;

(c) whether seven agencies have already been given clearance to export coarse rice; and

(d) if so, what are the facts thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes, only Rice and Barley.

(b) Exports of both barley and non basmati rice (including coarse rice) is allowed within a limited ceiling.

(c) and (d) As per public Notice No. 33/ETC/(PM)/80 permission has been given to the seven agencies to export non-basmati rice including coarse rice. They are (i) FCI; (ii) NAFED; (iii) STC; (iv) Andhra Pradesh, STC; (v) HAFED; (vi) PUNSUP; (vii) Tamil Nadu Civil Supplies corporation.

Barley:

The total production in the country is about 21.21 lakh tonnes. It has been decided to permit exports within a limited ceiling through STC and NAFED who are expectd to regulate the exports so as not to have any adverse repercussions on the internal price in the country.

Rice:

The production of rice in the country as well as its stock with the public agencies have been steadily increasing. Government has, therefore, permitted export of non-basmati rice (Superfine/Fine/Coarse) within a limited ceiling through the above mentioned seven agencies. For Superfine/Fine varieties of rice Minimum Export Price of Rs. 2750/- per MT. has been fixed

स्वर्णकारों की और बकाया पुनर्वास ऋण को माफ करना

5582. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सरकार को सलाह दी है कि स्वर्णकारों की और बकाया 3 करोड़ रुपये के पुनर्वास ऋण को माफ कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या अन्य राज्यों में भी यही नीति अपनाई जा रही है और इस बारे में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) तथा (ख) इन कर्जों की वापसी अदायगी करने में अपनी असमर्थता जतलाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्वर्णकार संघों से मिले अभ्यावेदनो तथा इन कर्जों की वसूलियां करने में कुछेक राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों के परिणामत:, भारत सरकार ने जून, 1978 में यह निर्णय दिया कि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, स्वर्णकारों से माफ्य पुनर्वास कर्जों की बकाया रकमों को सामान्य रूप से बट्टे-खाते मे डालने के आदेश दें और भारत सरकार इसके बदले में, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को इस प्रयोजन से दिये गये कर्जों की बकाया रकमों को बट्टे खाते में डाल देगी।

तमिलनाडु सरकार से हाल ही में मिली सूचना से पता चलता है कि उन्होंने 2.13 करोड़ रुपये की रकम बट्टे-खाते में डाल दी है, जो 1-4-77 की स्थिति के अनुसार स्वर्णकारों से प्राप्त पुनर्वास कर्जे की बकाया रकम थी, जो वसूली योग्य नहीं रह गयी थी।